राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण का तुलनात्मक अध्ययनः भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में

शोधार्थी, शिखा ओझा
विभाग – राजनीति विज्ञान
बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी,
सेंटंल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, 226025

प्रो. रिपु सूदन सिंह
विभाग – राजनीति विज्ञान
बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, 226025

सार

यह शोध पत्र भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण तंत्र का एक व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें राजनीतिक वित्त के संरचनात्मक, कानूनी, संस्थागत और पारदर्शिता–संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि पार्टी फंडिंग के स्रोतों, नियामक ढाँचों और न्यायिक हस्तक्षेपों ने दोनों देशों में राजनीतिक दलों के चरित्र, प्रतिस्पर्धात्मकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कैसे आकार दिया है। भारत में, राजनीतिक वित्त के विकास में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना (2018) की शुरुआत के साथ एक बड़ा बदलाव आया , जिसने गुमनाम कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत योगदान की अनुमति देकर प्रकटीकरण मानदंडों को मौलिक रूप से बदल दिया। जबकि इस योजना को बेहिसाब नकद दान पर अंकुश लगाने और स्वच्छ राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा देने के आधार पर आधिकारिक तौर पर उचित ठहराया गया था, नागरिक समाज संगठनों (जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) द्वारा स्वतंत्र आकलन ने महत्वपूर्ण अपारदर्शिता, दानकर्ता गुमनामी और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में अनुपातहीन निधि संकेंद्रण का खुलासा किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद में की गई जांच और संवैधानिकता पर बहस ने

मतदाता के सूचना के अधिकार, कॉर्पोरेट प्रभाव और लोकतांत्रिक विषमता से संबंधित चिंताओं को उजागर किया। चुनावी बॉन्ड के साथ–साथ इलेक्टोरल ट्रस्ट , कॉर्पोरेट दान और आयकर छूट की भूमिका भारत के राजनीतिक वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को और आकार देती है। **संयुक्त राज्य अमेरिका में**, 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सिटिज़न्स यूनाइटेड बनाम एफईसी मामले में दिए गए फ़ैसले और उसके बाद के स्पीचनाउ.ऑर्ग बनाम एफईसी जैसे फ़ैसलों ने निगमों, यूनियनों और सुपर पीएसी को प्रथम संशोधन की मुक्त–अभिव्यक्ति गारंटी के तहत असीमित स्वतंत्र व्यय करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप सुपर पीएसी का विस्तार हुआ, और 501(सी)(4) और 501(सी)(6) श्रेणियों के तहत काम करने वाले काले धन वाले समूहों का प्रसार हुआ , जिन्हें अपने दानदाताओं का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। ओपनसीक्रेट्स, संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) और शैक्षणिक संस्थानों की रिपोर्टें इस बात पर ज़ोर देती हैं कि हालाँकि अमेरिका में रिपोर्टिंग प्रणालियाँ अधिक संरचित हैं, गैर–लाभकारी वित्तपोषण और स्वतंत्र व्यय में खामियाँ धनी दानदाताओं और हित समूहों के प्रभाव को काफ़ी बढ़ा देती हैं।यह अध्ययन लोकतांत्रिक अखंडता पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि राजनीतिक वित्तीय मॉडल चुनावी नतीजों, जनविश्वास और संस्थागत वैधता को कैसे प्रभावित करते हैं। यह यह भी सुझाव देता है कि जब तक पारदर्शिता, प्रकटीकरण तंत्र और नियामक प्रवर्तन को मज़बूत नहीं किया जाता, भारत और अमेरिका दोनों ही धन और राजनीतिक शक्ति के बीच गठजोड़ को और गहरा करने का जोखिम उठाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

मुख्य शब्द – राजनीतिक दल, इलेक्टोरल बॉन्ड, सुपर पीएसी, वित्तपोषण, पारदर्शिता

प्रस्तावना

राजनीति–वित्त किसी भी लोकतंत्र की मूल धुरी है यह न सिर्फ़ दलों की कार्यक्षमता और चुनाव अभियान की पहुंच तय करता है, बल्कि नीति–निर्माण, प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक–हित की सुरक्षा पर भी असर डालता है। राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्रीय संस्था होते हैं। वे न केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा को संगठित करते हैं, बल्कि नीति–निर्माण, प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक जवाबदेही और जनसरोकारों के संरक्षण में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसी संस्थाओं के निर्वाह और चुनावी गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त संसाधनों की आवश्यकता स्वाभाविक है।इसीलिए राजनीतिक–वित्त न केवल चुनावी लोकतंत्र का एक आवश्यक अवयव है, बल्कि लोकतांत्रिक गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता का भी महत्वपूर्ण

निर्धारक है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र—राजनीतिक वित्तपोषण के क्षेत्र में दो भिन्न मॉडल प्रस्तुत करते हैं। भारत में जहां राजनीतिक दलों का वित्तपोषण मुख्यतः व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट योगदान, चुनावी ट्रस्ट और हाल ही में लागू इलेक्ट्रोरल बॉन्ड प्रणाली जैसे साधनों पर आधारित है, वहीं अमेरिका में दलीय वित्तपोषण व्यक्तिगत दान, सुपर पीएसी का विस्तार हुआ, इन दोनों देशों में राजनीतिक धन–संचय का ढाँचा, नियमन, पारदर्शिता और सार्वजनिक निगरानी की प्रकृति अत्यंत भिन्न है, जिसके कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इनके प्रभाव भी अलग–अलग दिखाई देते हैं। भारत में 2017–2018 के बाद राजनीतिक वित्तपोषण की संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ, विशेषकर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के लागू होने से। इस योजना ने दाताओं की पहचान को गोपनीय बनाकर राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले कॉर्पोरेट एवं निजी योगदान के स्वरूप को मूलतः बदल दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस व्यवस्था को पारदर्शिता और मतदाता के सूचना–अधिकार के विरुद्ध बताया है। इस योजना का परीक्षण कर इसे असंबैधानिक घोषित किया और उसके लोकतांत्रिक प्रभावों पर हुई व्यापक बहस ने राजनीतिक वित्त सुधारों की प्रासंगिकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इसके विपरीत, अमेरिका में राजनीतिक–वित्त पर सबसे निर्णायक मोड़ 2010 के सुप्रीम कोर्ट के सिटिज़न्स यूनाइटेड बनाम एफईसी ऐतिहासिक निर्णय के बाद आया। इस निर्णय ने कॉर्पोरेट और संघीय संस्थाओं द्वारा "स्वतंत्र व्यय" की लगभग असीमित अनुमति दे दी, जिसके परिणामस्वरूप सुपर पीएसी और 501(c)(4) जैसे डार्क मनी ग्रुप्स की भूमिका अभूतपूर्व रूप से बढ़ी। यहाँ पारदर्शिता न होने और बड़े दाताओं के प्रभाव के कारण लोकतांत्रिक असमानता तथा नीति–निर्माण पर आर्थिक शक्ति के प्रभाव को लेकर गंभीर प्रश्न उठे हैं। दोनों देशों की राजनीतिक वित्त प्रणालियों में मौजूद अंतर और समानताएँ हमें यह समझने में मदद करती हैं कि लोकतांत्रिक प्रणालियाँ किस प्रकार वित्तीय संरचनाओं द्वारा आकार लेती हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन न केवल धन के प्रवाह, नियामक ढाँचे और कानूनी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करता है, बल्कि यह भी जांचता है कि वित्तीय संसाधनों की असमान उपलब्धता किस तरह चुनावी प्रतिस्पर्धा, दलीय जवाबदेही और मतदाताओं के संस्थागत विश्वास को प्रभावित करती है।

साहित्य–समीक्षा

वैश्विक स्तर पर साहित्य – अन्तरराष्ट्रीय आईडीइए – राजनीतिक–वित्त के नियम, पारदर्शिता मानक और नियंत्रण–यंत्रों पर पर्याप्त दिशा देता है; यह बताता है कि पारदर्शिता की कमी और गोपनीय दायित्व लोकतांत्रिक असमानता को बढ़ाते हैं भारत–अवधारणा पर एडीआर व् अन्य संस्थाएँ ने इलेक्टोरल बांड प्रणाली के सन्दर्भ को दर्शाया कि कितनी राशि किस दल को प्राप्त हुई — पर जहां तक

दाताओं की पहचान का प्रश्न है, उसे छिपाये रखा गया था जिससे पारदर्शिता सीमित रही। भारत आयोग से के वेबसाइट से प्रमाणिक रिपोर्ट की समीक्षा की गयी है अमेरिका के मामले में ब्रेनन सेंटर , ओपन सीक्रेट्स और कानूनी–स्रोतों ने सिटिजन यूनाइटेड व सुपर पीएसी के परिणामों तथा ' डार्क मनी ' प्रवाह पर शोध किया है। ये शोध संकेत देते हैं कि जहाँ नियामक सीमाएँ कमज़ोर होती हैं, वहाँ धन के केंद्रीकरण व विशेष–हित समूहों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है।

(शोध–प्रश्न)

यह पेपर निम्न प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है:

(1) भारत व अमेरिका में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुख स्रोत– क्या हैं और वे किस प्रकार भिन्न हैं?

(2) नियामक और न्यायिक ढाँचे ने किस तरह वित्तपोषण के स्वरूप को प्रभावित किया?

(3)पारदर्शिता, सूचना–अधिकार तथा राजनीतिक असमानताओं का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(शोध के उद्देश्य)

(1) भारत और अमेरिका में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की संरचना, स्रोत, तंत्र, और प्रमुख माध्यमों की समीक्षा करना।

(2) दोनों देशों में मौजूदा कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों, चुनाव आयोगों/नियामक संस्थाओं (इसीआई ,एफइसी), और न्यायिक हस्तक्षेपों (भारत में इलेक्टोरल बांड का निर्णय; अमेरिका में सिटिजन यूनाइटेड वनाम एफइसी) को समझना और उनका राजनीतिक–वित्त पर प्रभाव पहचानना।

(3)दोनों देशों में दान–प्रकटीकरण , दाताओं की पहचान, रिपोर्टिंग प्रणाली, और पारदर्शिता–संरचनाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करना, और यह पता लगाना कि पारदर्शिता के स्तर में अंतर लोकतांत्रिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है।

शोध–विधि

इस शोध में तुलनात्मक और वर्णनात्मक अनुसंधान–पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण से संबंधित प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में दोनों देशों के संवैधानिक प्रावधान, चुनावी–वित्त से जुड़े विधिक दस्तावेज, न्यायालयीय फैसलेकृविशेषतः भारत में इलेक्टोरल बांड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही और अमेरिका में सिटिजन यूनाइटेड वनाम एफइसी तथा स्पीचनाउ. ओर्ग वनाम एफइसी के निर्णय—शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में एडीआर , इसीआई ,एफइसी ओपन सीक्रेट, ब्रेनन सेंटर , आईडीइए तथा प्रतिष्ठित शोध–पत्रिकाओं की रिपोर्टें सम्मिलित की गई हैं। डेटा–संग्रह हेतु डॉक्यूमेंट अनेलिसिस , तुलनात्मक समीक्षाका उपयोग करते हुए राजनीतिक दलों को प्राप्त धनराशि,

दान–स्रोत, पारदर्शिता–स्तर और नियामकीय ढाँचों का परीक्षण किया गया है। निष्कर्ष निकालने हेतु विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें राजनीतिक–आर्थिक संदर्भ, संस्थागत ढाँचा, तथा पारदर्शिता–जवाबदेही के मानकों के आधार पर दोनों देशों की प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया है।

भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का वित्तपोषण एक बहुआयामी और जटिल व्यवस्था है, जो अनेक स्रोतों—व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट योगदान, चुनावी ट्रस्ट, सदस्यता शुल्क, संपत्ति से होने वाली आय, बैंक ब्याज और विशिष्ट सरकारी प्रावधानोंकृपर आधारित है। हालांकि भारत का राजनीतिक–वित्त ढाँचा कानूनी रूप से भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), आयकर अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे विधानों द्वारा नियंत्रित है, फिर भी वित्तीय पारदर्शिता और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में पर्याप्त अस्पष्टताएँ मौजूद हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, ₹20,000 से अधिक के दान का खुलासा करना अनिवार्य है, परंतु दल इस सीमा से नीचे आने वाली रकम को छोटे–छोटे हिस्सों में विभाजित कर रिपोर्ट करते हैं, जिससे वास्तविक दानकर्ताओं की पहचान अक्सर सार्वजनिक नहीं हो पाती। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की नवीनतम रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2023–24) के अनुसार, राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल आय का 3.4% (₹199.37 करोड़) हिस्सा ऐसे "अस्पष्ट" या "अज्ञात" स्रोतों से आया जिनकी पहचान सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य संकेत देता है कि राजनीतिक दलों की वित्तीय संरचना में अभी भी एक महत्वपूर्ण मात्रा में अपारदर्शिता मौजूद है, जो मतदाता के सूचना–अधिकार और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की भावना को चुनौती देती है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट दानों का बढ़ता प्रभाव भी भारत के राजनीतिक–वित्त परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बनकर उभरा है। 2004–2019 के बीच किए गए एक व्यापक अध्ययन (कनोजिया, शर्मा, सेठी और शर्मा, 2020) ने यह पाया कि इस अवधि में कॉर्पोरेट क्षेत्र से आने वाले दानों में भारी वृद्धि हुई है, और राजनीतिक दलों की आय का एक बड़ा हिस्सा अब उन्हीं से प्राप्त होता है। हालांकि, इन दानों के प्रकटीकरण में व्यापक अंतराल मौजूद हैंकृकई कंपनियाँ अपनी "राजनीतिक योगदान " रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करतीं, और कई मामलों में कॉर्पोरेट दान चुनावी ट्रस्ट या चुनावी बांड जैसे माध्यमों से अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, जिससे दाताओं की वास्तविक पहचान और दान का उद्देश्य जनता के सामने उपलब्ध नहीं होता। 2018 में लागू हुई चुनावी बॉन्ड योजना ने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की प्रकृति को और अधिक प्रभावित किया है। इस योजना ने दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रखते हुए, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दानों को बिना खुलासा किए राजनीतिक दलों तक पहुँचने का एक वैध साधन प्रदान किया। सरकार का तर्क था कि इससे नकद दानों में कमी आएगी और बैंकिंग चौनल से पैसा लाने से पारदर्शिता बढ़ेगी। किंतु एडीआर, कई अर्थशास्त्रियों, और संवैधानिक

विशेषज्ञों ने पाया कि चुनावी बांड ने पारदर्शिता को बढ़ाने के बजाय उसे कम किया, क्योंकि दाताओं की पहचान न केवल जनता से छिपी रही बल्कि ईसीआई) जैसी संवैधानिक संस्था भी इन दानों की स्रोत–जानकारी प्राप्त नहीं कर पाई। इस व्यवस्था ने एक बड़े शक्तिशाली वर्ग—कॉर्पोरेट समूहों और बड़ी कंपनियों को गुप्त रूप से राजनीतिक इकाइयों को उच्च–मूल्य वाले दान प्रदान करने की सुविधा दी। इसके कारण पार्टी–आधारित वित्तीय असमानता और चुनावी प्रतिस्पर्धा में शक्ति–संतुलन का अभाव गहराया है। एक दल तक चुनावी बांड का अत्यधिक प्रवाह होने से विपक्षी दलों के चुनावी संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रतियोगिता का स्वरूप एकतरफा हो सकता है।
इन सभी संरचनात्मक कारकों अस्पष्ट दान, कॉर्पोरेट वित्त का बढ़ता प्रभाव, चुनावी बांड की गोपनीयता, और कमजोर रिपोर्टिंग–प्रणालीकृका संयुक्त प्रभाव भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता पर पड़ता है। यह स्थिति "चेकबुक लोकतंत्र" का संकेत देती है, जिसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता चुनावी परिणामों और नीति–निर्माण पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है।
राजनीतिक वित्तपोषण में सुधार की आवश्यकता इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि एडीआर, कार्नेगी एंडोमेंट, इंटरनेशनल आईडिया और अनेक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की राजनीतिक वित्त संरचना में पारदर्शिता, खुलासा, और नियमन के मजबूत ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का वित्तपोषण एक अत्यंत व्यापक, विविध और बहुस्तरीय ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यक्तिगत दान , राजनीतिक कार्रवाई समितियाँ (पीएसी), सुपर पीएसी, पार्टी समितियां (राष्ट्रीय पार्टी समितियां), गैर–लाभकारी संस्थाएँ – जैसे 501(सी)(4)सामाजिक कल्याण संगठन और 501(सी)(6) गैर–लाभकारी संस्थाएँ जैसे 501(ब) और बड़े पैमाने पर किए जाने वाले स्वतंत्र व्यय प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संघीय चुनाव आयोग के नियमन के अनुसार व्यक्तिगत दान की सीमाएँ निर्धारित हैं, परंतु असीमित व्यय पर कोर्ट के फैसलों ने व्यापक छूट प्रदान कर दी है। अमेरिका में राजनीतिक वित्त प्रणाली पर सबसे भारी प्रभाव 2010 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट निर्णय सिटिजन यूनाइटेड बनाम संघीय चुनाव आयोग (558 यूएस 310) के बाद पड़ा, जिसमें कोर्ट ने कॉर्पोरेट और यूनियन संस्थाओं को राजनीतिक विज्ञापन या अभियान के समर्थन/विरोध में "स्वतंत्र व्यय" करने की लगभग असीमित अनुमति दे दी। इस फैसले ने सुपर पीएसी के उदय को प्रेरित किया, जो स्वयं उम्मीदवारों या दलों के साथ सीधे समन्वय नहीं करते परंतु अनलिमिटेड धन खर्च कर सकते हैं। स्पीचनाउ ऑर्ग वनाम एफइसी (2010) के निर्णय ने इस मॉडल को और विस्तारित किया, जिससे बड़ी कंपनियों और अमीर दाताओं के लिए विशाल पैमाने पर चुनावी प्रभाव डालना संभव हुआ। ओपनसीक्रेट्स के

वार्षिक आँकड़ों के अनुसार 2012 से 2020 के बीच सुपर पीएसी द्वारा खर्च की गई राशि अरबों डॉलर तक पहुँच गई, और इसमें " डार्क मनी "ऐसी संस्थाएँ जिनके दाताओं का खुलासा अनिवार्य नहींकृका योगदान प्रमुख रहा। ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस की रिपोर्टें बताती हैं कि 501(सी)(4) संगठनों द्वारा किए गए खर्चों में कई बार पारदर्शिता का अभाव रहता है, जिससे मतदाता यह नहीं जान पाता कि किसी राजनीतिक अभिव्यक्ति के पीछे कौन–सा हित–समूह सक्रिय है। इस प्रकार, अमेरिकी राजनीतिक–वित्त प्रणाली संवैधानिक रूप से मुक्त अभिव्यक्ति पर आधारित होने के बावजूद, व्यावहारिक रूप से वह बड़े वित्तीय संसाधनों वाले विशेष हित समूहों के प्रभाव को अधिक स्थान प्रदान करती है। फेडरल इलेक्सन कमीसन के नियमन–संबंधी ढाँचे के बावजूद, अदालत के फैसलों ने अभियान–वित्त की सीमाओं को काफी कमजोर किया है, जिस कारण लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में आर्थिक असमानता और की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है।

तुलनात्मक विश्लेषण

(1) **कानूनी और संवैधानिक ढाँचा** भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के राजनीतिक–वित्त ढाँचे में कानूनी और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं, जो चुनावी प्रतिस्पर्धा और दलीय वित्तपोषण की प्रकृति को आकार देते हैं। भारत में राजनीतिक वित्त पर अनुशासन का प्रमुख साधन भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) , कंपनी अधिनियम, 2013 के दान–नियम, आयकर अधिनियम की रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ, तथा हालिया न्यायिक हस्तक्षेप विशेषतः इलेक्टोरल बॉन्ड्स से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने पारदर्शिता बनाम गोपनीयता के बीच एक गंभीर संवैधानिक तनाव उत्पन्न किया, क्योंकि यह दाता की पहचान जनता और यहाँ तक कि चुनाव आयोग से भी छिपाए रखता था। एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने इसे लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए हानिकारक माना और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को मतदाता–स्वाधिकार सूचना का अधिकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना। इसके विपरीत, अमेरिका में चुनावी वित्त का निर्धारण व्यापक रूप से प्रथम संशोधन की व्याख्या से प्रभावित है, जिसने राजनीतिक अभिव्यक्ति को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। सिटीजन्स युनाइटेड बनाम एफईसी (2010) और स्पीचनाउ.ओआरजी बनाम एफईसी जैसे निर्णयों ने कॉर्पोरेट इकाइयों और संघीय संस्थाओं को असीमित " स्वतंत्र व्यय " की अनुमति दी, जबकि संघीय चुनाव आयोग (एफईसी)योगदान सीमाएँ, रिपोर्टिंग मानक और पारदर्शिता–नियम लागू करता है। अमेरिकी ढाँचा संघीय होने के कारण राज्यों के नियम भी भिन्न होते हैं, और अदालतों के फैसले राजनीतिक–वित्त के नियमन को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार दोनों देशों में राजनीतिक–वित्त की संवैधानिक

दिशा न्यायपालिका द्वारा निर्धारित होती है, पर अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राथमिक मूल्य है, जबकि भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर अधिक जोर दिया जाता है।

(2) पारदर्शिता बनाम गोपनीयता राजनीतिक–वित्त में पारदर्शिता और दानदाताओं की पहचान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं, परंतु भारत और अमेरिका दोनों में विभिन्न तंत्रों के कारण दाता–पहचान अक्सर अप्राप्य बनी रहती है। भारत में चुनावी बांड योजना ने दानदाताओं की पहचान को पूर्णतः गोपनीय बनाकर राजनीतिक दलों को नाम–रहित वित्त प्रवाह की सुविधा प्रदान की। बैंकिंग प्रणाली में खरीदार की पहचान एसबीआई के पास तो रहती है, पर वह जनता और ईसीआई के लिए गोपनीय रहती है, जिससे यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि किस दाता ने किस दल को कितना योगदान दिया। एडीआर ने इसे " संस्थागत अपारदर्शिता" कहा है। इसके विपरीत अमेरिका में डार्क मनी ग्रुप्स विशेषकर 501(सी)(4) और 501(सी)(6) गैर–लाभकारी संस्थाएँकृ दाताओं को छिपाकर राजनीतिक विज्ञापनों और अभियान संदेशों पर भारी व्यय करती हैं। ओपेन सीक्रेट की रिपोर्टों के अनुसार कई करोड़ डॉलर के स्वतंत्र व्यय ऐसे संगठनों से आते हैं जिनकी दान–सूचना सार्वजनिक नहीं होती। दोनों देशों में यह गोपनीयता लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठाती है क्योंकि मतदाता, मीडिया और नियामक संस्थाएँ यह नहीं जान पातीं कि राजनीतिक संदेशों या नीतिगत रुखों के पीछे किस आर्थिक शक्ति का प्रभाव कार्यरत है। अतः पारदर्शिता के मामले में दोनों देशों की चुनौतियाँ समान स्वरूप की हैं, भले उनके कानूनी स्रोत भिन्न हों।

(3) नियामक प्रवर्तन नियामक प्रवर्तन राजनीतिक–वित्त की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है, और भारत व अमेरिका दोनों ही देशों में यह क्षेत्र कई तरह की बाधाओं से घिरा हुआ है। भारत में इसीआई ,आयकर विभाग और कंपनियों के खुलासा–ढाँचे के पास कुछ निगरानी साधन तो हैं, परंतु इलेक्टोरल बांड और निजी बैंकिंग चौनलों जैसे आधुनिक वित्तीय तंत्र ने इन संस्थाओं की प्रभावी निगरानी को जटिल बना दिया है। एडीआर ने कई बार यह इंगित किया है कि कंपनियों द्वारा किए गए दानों और दलों की आय–घोषणाओं में गंभीर विसंगतियाँ पाई जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देने के बावजूद लंबे समय तक डेटा–खुलासा पूर्ण नहीं हो पाया। दूसरी ओर, अमेरिका में एफइसी एक संवैधानिक निकाय है, परंतु राजनीतिक ध्रुवीकरण और छह–सदस्यीय आयोग के भीतर अक्सर " डेडलॉक" की स्थिति बन जाती है, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्रवाई लंबित रह जाती है। अदालतों के निर्णय, विशेषकर सिटिजन यूनाइटेड के बाद, एफइसी के कई प्रतिबंधात्मक उपायों को सीमित कर चुके हैं। ओपन सीक्रेट और ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस ने यह दर्शाया है कि एफइसी की शक्ति, राजनीतिक दबाव और कानूनी छूटों के कारण काफी कमजोर हो चुकी है। इस प्रकार, दोनों देशों में नियामक संस्थाएँ मौजूद तो हैं, पर

राजनीतिक धन के बढ़ते जटिल स्वरूप—कॉर्पोरेट संरचनाएँ, गैर – लाभकारी नेटवर्क, बैंक चौनल और अप्रत्यक्ष दान—ने प्रवर्तन को कठिन बना दिया है।

(4) प्रभाव असमानता और प्रतिस्पर्धा भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में राजनीतिक–वित्त की मौजूदा प्रणालियाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधित्व और नीति–निर्माण पर असमान प्रभाव डालती हैं। भारत में इलेक्टोरल बांड्स के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश बॉन्ड एक ही प्रमुख राष्ट्रीय दल के पक्ष में भुनाए गए, जिससे वित्तीय असंतुलन पैदा हुआ और चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से तिरछी हो गई। द गार्जियन जैसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने विस्तृत रूप से यह दिखाया कि कैसे प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों के दान कुछ विशेष दलों की चुनावी क्षमता को अत्यधिक बढ़ाते हैं, जिससे नीति–प्रभाव का जोखिम बढ़ता है। इसी प्रकार अमेरिका में सुपर पीएसी और डार्क मनी नेटवर्क चुनावों में प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से अमीर व्यक्तियों और बड़े कॉर्पोरेशनों की राजनीतिक पहुँच आम मतदाताओं से कहीं अधिक हो जाती है। ओपन सीक्रेट्स के 2012–2020 के डेटा से यह सिद्ध होता है कि शीर्ष 10 दाताओं ने ही अरबों डॉलर के असीमित व्यय किए, जिससे चुनावी परिदृश्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। दोनों देशों में ऐसी वित्तीय असमानता लोकतांत्रिक सिद्धांतों—समान राजनीतिक अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और नीति की सार्वभौमिकताकृको चुनौती देती है और " पालिसी कैप्चर " अर्थात् नीति–निर्माण पर आर्थिक हितों के वर्चस्व का जोखिम बढ़ाती है। इस प्रकार, राजनीतिक–वित्त की असमान संरचना लोकतंत्र की गुणवत्ता को कमजोर करती है और शक्ति के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि दोनों देशों की राजनीतिक–वित्त प्रणालियाँ संरचनात्मक रूप से भिन्न होने के बावजूद समान चुनौतियों का सामना करती हैं विशेषकर पारदर्शिता की कमी, दाता–गोपनीयता, कॉर्पोरेट प्रभाव और आर्थिक असमानता। भारत में इलेक्टोरल बांड , कॉर्पोरेट योगदान और अस्पष्ट स्रोतों से होने वाली आय ने चुनावी वित्त को अत्यंत अपारदर्शी बनाया है, जबकि अमेरिका में सिटिजन यूनाइटेड और स्पीच नाउ ओर्ग जैसे न्यायिक निर्णयों ने सुपर पीएसी और डार्क मनी संगठनों को अभूतपूर्व वित्तीय शक्ति प्रदान की है। दोनों देशों में नियामक निकायकृभारत में ईसीआई और अमेरिका में एफइसी कृकानूनी सीमाओं, राजनीतिक दबावों और जटिल वित्तीय साधनों के कारण प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप चुनावी प्रतिस्पर्धा में असमानता बढ़ती है, बड़े दाता नीति–निर्माण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, और लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए

शोध सुझाव देता है कि दोनों देशों में दान–प्रकटीकरण को पूर्ण रूप से अनिवार्य बनाया जाए, कॉर्पोरेट योगदान पर सीमा तय की जाए, स्वतंत्र व्यय की निगरानी को मजबूत किया जाए, राजनीतिक दलों के वित्तीय रिकॉर्ड की नियमित ऑडिटिंग सुनिश्चित की जाए और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डिजिटल निगरानी तंत्र अपनाए जाएँ। साथ ही, सिविल सोसाइटी संगठनों तथा स्वतंत्र मीडिया को राजनीतिक–वित्त संबंधी डेटा उपलब्ध कराया जाए ताकि सार्वजनिक निगरानी प्रभावी हो सके। इस प्रकार, दोनों लोकतंत्रों में राजनीतिक वित्त ढाँचे के सुधार से न केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा संतुलित होगी बल्कि नीति–निर्माण अधिक जवाबदेह और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बन सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Association for Democratic Reforms. (2024). Analysis of Sources of Funding of National Parties: FY 2023–24. ADR. https://adrindia.org

Association for Democratic Reforms. (2023). Electoral Bonds: An Analytical Report on Party-wise Funding. ADR. https://adrindia.org

Brennan Center for Justice. (2019). Citizens United Explained. Brennan Center. https://brennancenter.org

Carnegie Endowment for International Peace. (2018). Funding Elections in India: Whose Money Has the Most Influence? https://carnegieendowment.org

Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010). https://supreme.justia.com

Election Commission of India. (2020). Election Expenditure Guidelines. ECI Publications. https://eci.gov.in

Federal Election Commission. (2022). Campaign Finance Data: Overview. FEC.gov. https://fec.gov

International IDEA. (2014). Funding of Political Parties and Election Campaigns (pp. 1–125). International IDEA Publishing. https://idea.int

Kanojia, P., Sharma, V., Sethi, R., & Sharma, G. (2020). Corporate funding of political parties in India. GRFDT Journal, 2(1), 45–60.

OpenSecrets. (2021). Dark Money Basics & Independent Expenditures. Center for Responsive Politics. https://opensecrets.org

OpenSecrets. (2020). Super PACs: Annual Spending Report. Center for Responsive Politics. https://opensecrets.org

Reuters. (2024, March 4). Obscure trust links India's top businesses with Modi’s election war chest. Reuters News. https://reuters.com

The Guardian. (2024). Narendra Modi's BJP given £570m under scheme allowing anonymous donations. The Guardian. https://theguardian.com

U.S. Federal Election Commission. (2019). PAC and Super PAC Financial Activity Report. FEC. https://fec.gov

SpeechNow.org v. Federal Election Commission, 599 F.3d 686 (D.C. Cir. 2010).

Academic Oxford University Press. (2018). India. In Norris, P. (Ed.), Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective (pp. 212–230). Oxford University Press.

Government of India, Ministry of Finance. (2018). Electoral Bonds Scheme, 2018: Official Notification. Gazette of India. https://egazette.gov.in